राजस्व वाद संख्या 56/2013 प्रभाती देवी बनाम प्रमिला वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख मे जारी हुए
28.12.15	वादीया के वाद पत्र एवं प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी कमलादेवी के वकील श्री लक्ष्मण गौड द्वारा दिनांक 08/09/2015 को वादिया के कायम मुकाम (L.R.) रिकार्ड पर लेने का आवेदन इस आशय का पेश किया कि उक्त वाद में वादिया प्रभाती देवी का स्वर्गवास दिनांक 11/09/2013 को हो चुका है, प्रार्थीया को उक्त वाद की जानकारी अभी हाल ही में अपने पीहर कुचामन सिटी में आने पर श्रीमान न्यायालय हाजा के लोक अदालत के नोटिस जारी होने पर (केम्प हिराणी) पर दिनांक 26/06/2015 को हुई है। अतः मुझ प्रार्थीया कमलादेवी को प्रभाती देवी के स्वर्गवास के वाद वादीया प्रभाती के स्थान पर कायममुकाम वारिस होने से रिकार्ड पर लाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करे, जानकारी नही होने के मियाद देरिना कण्डोन फरमाई जावे। प्रतिवादी प्रमिला के वकील श्री मौहम्मद हनीफ द्वारा इस आशय का जवाब आवेदन प्रस्तुत किया कि वादिया प्रभाती देवी का देहान्त दिनांक 11/09/2013 को करीब2 वर्षो पूर्व हो चुका है इस परपेक्ष्य में सी.पी.सी. में विहीत 90 दिवस की अवधी के भीतर वादी के विधिक प्रतिनिधिगण अभिलेख पर नही लाने के कारण आदेश 22 नियम 9 सी.पी.सी. के प्रावधानो के अनुसार 150 दिवस की अवधि गुजर जाने के के बाद वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण का वाद Automatic abatement हो गया है, अब यदि कोई डिक्री जारी होती है तो **nullity** होगी, वादी की मृत्यु की तारीख प्रार्थी की जानकारी थी, प्रार्थी ने जो कारण बताया वह मुकदमा करने की जानकारी बाबत है, वाद पंजिबद्व होने के बाद इसकी सभी को संसूचना होती है, जो सम्बन्ध आपस में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 34 से 36 के मध्य है उससे यह कतई प्रमाणित नही होता है कि प्रार्थिया को हस्तगत वाद की जानकारी व ज्ञान नही हो। वादी द्वारा अबेटमेंट अपास्त की अमल में नही लाई गयी, ना ही अपने कथनो की पृष्टि स्वरूप ऐसा कोई नोटिस लोक अदालत जो प्रार्थीया को दिनांक 26/06/2015 को तामिल हुआ हो वह अपने आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी ने देरी की माफी का आवेदन एवं शपथ–पत्र भी प्रस्तुत नही किया है। एतदर्थ प्रार्थीया द्वारा देरी को प्रत्येक क्षण का स्ट्रोंग पर्याप्त केश सो नही किया शपथपत्र के अभाव में प्रार्थी का आवेदन वाद मियाद काबिल खारिज है। अविश्वसनीय तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत	

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र दिनांक 8/09/2015 काबिल खारिज है। अतः अर्ज है कि प्रार्थी का आवेदन खारिज फरमावे।

अधिवक्ता प्रार्थी श्री लक्ष्मण गौड ने दौराने बहस तर्क दिया कि उक्त वाद में वादिया प्रभाती देवी का स्वर्गवास दिनांक 11/09/2013 को हो चुका है,प्रार्थीया कमला देवी W/o. गंगाराम हाल निवासी कल्लू पलसानिया की ढाणी भोजपुरा,फुलेरा में निवासी करती है। प्रार्थीया प्रभाती देवी पत्नि पत्नि स्व. रामूराम उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 34 से 38 है। सक्षिप्त में वादीया के कायममुकाम (L.R.) निम्नवत है। (i). कमला देवी पुत्री प्रभातीदेवी, पुत्री रामूराम, (ii). छोटुराम, (ii). लिछमणराम, (iv). बोदुराम, (v). खाचूराम पुत्रान स्व. प्रभातीदेवी W/o रामूराम है, कमलादेवी के अलावा अन्य वारिसान प्रतिवादी संख्या 34 से 38 पहले से रिकार्ड पर है।

अतः मुझ प्रार्थीया कमलादेवी को प्रभाती देवी के स्वर्गवास के वाद वादीया प्रभाती के स्थान पर कायममुकाम वारिस होने से रिकार्ड पर लाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करे, जानकारी नही होने से मियाद देरिना कण्डोन फरमाई जावे।

अधिवक्ता प्रतिवादी मौहम्मद हनीफ ने दौराने बहस प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का विरोध कर तर्क दिया कि उक्त वाद में वादिया प्रभाती देवी की मृत्यु की तारीख 11/09/2013 को न्यायालय में दिया जाना स्वयं द्वारा जाहिर किया गया। उसके बावजुद 90 दिवस की विहीत अवधि में किसी प्रकार का कायम मुकाम बनाने की कार्यवाही अव्वल तो प्रार्थी अथवा प्रभाती देवी के पुत्र प्रतिवादी की तरफ से नही की गयी, प्रार्थी ने अपने कथनो के समर्थन में शपथपत्र ओर लोक अदालत का नोटिस दस्तावेज भी प्रस्तुत नही किया है, जबकि हस्तगत वाद बाबत लोक अदालत का नोटिस दिनांकित 26/06/2015 प्रार्थी को प्राप्त हुआ तभी कायम मुकाम बनाये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन के साथ जरूर प्रस्तुत किया जाता ओर सामान्य अनुक्रम में यह उपधारणा की जाती है कि मानवीय आचरण एवं आमजन का सामान्य अनुक्रम है कि जब भी कोई व्यक्ति मुकदमा अदालत में दर्ज होकर वाद लम्बन के मुकदमा करने वाले के परिवार रिश्तेदारो को इसकी साधारण प्रक्रिया में जानकारी व ज्ञान होना बखुबी सम्भव है, प्रार्थी ने करीब 2 वर्षीय देरी का कोई पर्याप्त कारण नही बताया है, हस्तगत वाद automatic abate हो चुका है, इसके बाद पारित सभी निर्णय व आदेश null and void है वादी का वाद घोषणा खातेदारी रेकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का है इसलिए सम्पूर्ण वाद खारिज किये जाने योग्य है। अधिवक्ता वादीया की ओर से अपने समर्थन

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

में न्यायिक दृष्टान्त 2015 (1)**DNJ (Raj)** पेज 147 Bhawani singh & Anr.Vs. kasha Ram & Ors. प्रस्तुत की है । अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त ए.आई. आर 2000 राजस्थान पेज 353, ए.आई.आर. 2012 उत्तराखण्ड पेज 21, ए.आइ.आर 2000 इलाहबाद पेज 253, ए.आई. आर. 1999 एस. सी. पेज 1077, ए.आई आर 1981 एस. सी. 1921 एवं ए.आई आर. 2010 एस. सी. पेज 3043 पेश किए।

उभय पक्षो की बहस सुनी। तर्को पर मनन किया। प्रस्तुत सम्बन्धी न्यायिक दृष्टान्तों से मार्गदर्शन लिया गया। प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन में वादी की मृत्यु दिनांक 11/09/2013 को होना जाहिर किया है, प्रार्थी द्वारा वाद की अनभिज्ञता एवं न्यायालय हाजा द्वारा लोक अदालत के दिनांक 26/06/2015 को जारी नोटिस से जानकारी का कारण बताया है लेकिन प्रार्थी ने अपने कथनो के समर्थन में ना तो दिनांक 26/09/2015 के नोटिस की प्रति प्रस्तुत की गयी है तथा अपने कथनो के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत नही किया गया है। कोई भी वाद न्यायालय में पंजिकृत होता है तो इसके सम्बन्ध में हर व्यक्ति को नोटिस होता है, सामान्य अनुक्रम में मानवीय आचरण एवं आमजन के सम्बन्ध में यह उपधारणा की जाती है कि जब भी कोई व्यक्ति मुकदमा अदालत में कानुनी चाराजोही आदि की कार्यवाही करता तो मुकदमा करने वाले के परिवार रिश्तेदारो पुत्र पुत्रियो को इसकी साधारण प्रक्रिया में जानकारी व ज्ञान होता है, दिनांक 22/03/2013 से दर्ज मुकदमा हाजा की प्रार्थी को दिनांक 26/09/2015 से पूर्व जानकारी नही हो यह तथ्य न्यायालय द्वारा स्वीकार किये जाने योग्य नही है। प्रार्थी द्वारा लोक अदालत का नोटिस दिनांक 26/09/2015 की प्रति भी अपने कथनो की पृष्टि में आवेदन के साथ प्रस्तुत नही किया गया है, इससे जाहिर है कि प्रार्थी ने जो कारण बताये है वह उचित कारण नही है, प्रार्थी ने जानबुझकर वादी की मृत्यु की सूचना न्यायालय को नही दी है, वादी के सम्बन्ध प्रतिवादीगण संख्या 34 से 36 से पुत्र है इस वाद एवं वादी की मृत्यु की जानकारी थी, प्रार्थी ने देरी को कण्डोन करवाने हेतु ना तो कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया ना ही अपने कथनो के समर्थन मे कोई अन्य तथ्य प्रस्तुत किया है । अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त ए.आ.आर 2000 इलाहाबाद पेज 253 में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह विनिश्चय किया है कि वादी की मृत्यु से 150 दिन के भीतर वाद के उपशमन (आर्डर 22 नियम 9 सी.पी.सी.के तहत) को निरस्त करने का प्रार्थना पत्र पेश नही किया है। तथा ऐसा प्रार्थना

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

लगातार पृष्ठ स. 2 पर

पत्र उक्त अवधि के बाद वाद के उपशमन को निरस्त करने की प्रार्थना किए बिना तथा सत्यापन एवं बिना शपथ पत्र के पेश किया जाता है तो ऐसा प्रार्थना पत्र को मृतक पक्षकार वादी के वारिसान को प्रतिस्थापित के लिए प्रार्थना पत्र नही माना जा सकता तथा ऐसे प्रार्थना पत्र उक्त अवधि के बाद में प्रस्तुत कर भी दिया जाता है कि तो ऐसा प्रार्थना पत्र पेश कर भी दिया जाता है दिया हो तो उससे इस अनियमितता एवं अवैधता को दूर नही किया जा सकता। इस प्रकार वादी प्रभाती देवी की मूत्यू के बाद वारिसान को रिकार्ड पर लिए जाने का प्रार्थना पत्र जो 150 दिन की अवधि के बाद बाद पेश किया गया है उससे वाद के उपशपन को निरस्त करने की प्रार्थना नही है तथा उक्त प्रार्थना पत्र का सत्यापन नही किया हुआ है एवं किसी प्रकार का शपथपत्र नही लगा हुआ है। अतः न्यायिक दृष्टान्त की रोशनी में एसा प्रार्थना पत्र प्रतिस्थापन्न के लिए पर्याप्त नही है। दिनॉक 24.11.2015 को दौराने सुनवाई प्रार्थीया का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया ।

ए.आई.आर. 2012 उत्तराखण्ड पेज 21 में माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि वादी के विधिक प्रतिनिधियो को रिकार्ड पर लिया जाना संयुक्त सम्पति मे सह स्वामित्व के अधिकारो की घोषणा के वाद में प्रत्येक वादी का हिस्सा सुभिन्न एवं पृथकरणीय नही है, अतः सम्पूर्ण वाद का उपशमन होगा।

मानानीय उच्च उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त ए. आई.आर 1981 एस.सी. 1921 व ए.आई.आर 2010 एस.सी. पेज 3043 में यह विनिश्चिय किया गया है कि विलम्ब क्षमा करने के लिए गुणावगुण व पर्याप्त आधार होना चाहिए तथा आधार विश्वास योग्य होने चाहिए । इस प्रकरण में प्रार्थी भी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 34 से 36 आपस मे पुत्री माता व पुत्र का सम्बन्ध है एक ही परिवार के सदस्य है, प्रार्थी को वादी की मृत्यु की तारीख भी बखूबी जानकारी रही है, हस्तगत वाद की प्रार्थी को जानकारी नही हुई हो, इस दौरान इतने लम्बे समय तक आपस में सम्पर्क नही हुआ हो प्रार्थी को मुकदमा की जानकारी नही हो यह आधार विश्वास योग्य नही है इस प्रकार प्रार्थी द्वारा इस विलम्ब को क्षमा करने के लिए ना तो पृथक से आवेदन प्रस्तुत किया ना ही जो कारण आवेदन में बताये गये है वह इस न्यायालय के विनम्र मत में विश्वास योग्य एवं युक्तियुक्त प्रतीत नही होते है।

प्रार्थी प्रमिला द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वाद के उपशमन को निरस्त करने की प्रार्थना नही की है तथा उस प्रार्थना पत्र का सत्यापन एवं शपथपत्र द्वारा समर्थन नही किया गया है दौराने

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खुवामन सिटी (नागौर)

लगातार पृष्ठ स. 2 पर

सुनवाई वकील प्रतिवादी द्वारा एतराज करने पर प्रार्थीया का शपथ–पत्र बाद में प्रस्तुत किया गया है । ऐसी दशा में न्यायिक दृष्टान्तो की रोशनी में उक्त प्रार्थना पत्र प्रतिस्थापन के लिए पर्याप्त प्रार्थना पत्र नही है ओर एक पक्षकार के तय 150 दिन से ज्यादा समयावधी में रिकार्ड पर नही होने के कारण सम्पूर्ण वाद का उपशमन हो जाता है अतः हस्तगत वाद उपशमन हो चुका है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र का उद्देश्य असद्भावनापूर्वक प्रस्तुत होने के कारण आवेदन में स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी कमला पुत्री रामुराम की ओर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कायम मुकाम रेकार्ड पर लेने बाबत स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

अतः अधिवक्ता प्रार्थी कमला पुत्री रामुराम की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत कायम मुकाम रिकार्ड पर लेने बाबत अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। वाद का उपशमन हो जाने से पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नही है। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28/11/17 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी(नागौर)

लगातार पृष्ठ सं. 2 पर